उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-61/2023/एस-2-I/429563/दस-2023-2552/2021

लखनऊ :: दिनॉक: 17 नवम्बर,2023

कार्यालय-आदेश

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/ 2008 दिनॉक 5-11-2014 एवं सपठित सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ दिये जाने हेतु गठित निंग कमेटी की बैठक दिनॉक 19.10.2023 में की गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से **प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी)** एवं स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से **तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी)** अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	मुख्य रोकडिया (सादृश्य ग्रेड पे 4800) के पद पर नियुक्ति की तिथि	सहायक कोषाधिकारी (सादृश्य ग्रेड पे 4800) के पद पर पदोन्नति की तिथि	**शासनादेश दिनॉक 05.11.2014 के प्रस्तर-1(3)(ग) के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय एसीपी के अनुमन्य होने की तिथि (ग्रेड पे 5400 के रूप में प्रथम एसीपी- काल्पनिक रूप से एवं ग्रेड पे 6600 के रूप में द्वितीय एसीपी वास्तविक रूप से)**	**ग्रेड पे 7600 के रूप में तृतीय ए0सी0पी0 की देयता की तिथि**
1	2	3	4	**5**	**6**
1.	श्री माधव गुप्ता (से0नि0 दिनॉक 30.06.2018)	06.04.1987	29.01.2000	**01.12.2008**	**06.04.2013**

संजीव सिंह

विशेष सचिव।

संख्या व दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।

4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

6- संबंधित अधिकारीगण।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in